सी.जी.एच. एस. के अन्तर्गत मेडिकल स्टोर्स द्वारा नियमों की अवहेलना

*74 **चौधरी हरमोहन सिंह** :

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नियमों की अवहेलना करने के दोषी पाये गए सी.जी.एच. एस. के अन्तर्गत अधिकृत मेडिकल स्टोर्स को केवल चेतावनी दी जाती है और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं, और

(ग)दोषी पाये गए मेडिकल सेन्टरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) जी नहीं । शिकायतों के गुणवगुण पर प्रत्येक मामले में समुचित कार्रवाई की जाती है ।

Payment made by Bofors

*75. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item that appeared in the 'Hindustan Times' of 1st July, 1995 under the heading "Bofors made payment through benami firm" saying that CBI officials are convinced that the kick-back in the Bofors gun deal was made through a benami company with the acronym CIAO;

(b) if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) whether Government agree with the C.B.I. perception that information sought by India was being withheld under pressure of the aforesaid company?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) to (c) Yes Sir. It is not within the knowledge of CBI so for that any payments from Bofors has been made to a Benami Firm and Government have no reason to disagree with the same.

कंपनियों द्वारा शेयर पूंजी जुटाया जाना

*76. **श्री सोमपाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में कुछ कंपनियां बाजार से शेयर पूंजी जुटाने के लिए अपनी वित्तीय और व्यापारिक स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत कर रही हैं,

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान ऐसी अनियिमितताओं के कितने मामले सामने आए हैं और ऐसी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है,

(ग) ऐसी घटनाओं की पुरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(घ) क्या शेयर पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को इस सबंध में सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और

(ड़) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ड़) सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों का कोई अनुभूतिमूलक अध्ययन नहीं किया गया है जिन्होंने बाजार से शेयर पूंजी को जुटाने के उद्देश्य से अपनी वित्तीय तथा वाणिज्यिक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया है । तथापि, जब भी केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आता है कि किसी कम्पनी ने प्रोस्पेक्टस में झूठा या भ्रामक विवरण दिया है या उसने किसी निवेशक को कपटपूर्वक फुसलाया है तथा इस प्रकार से कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 63 या 68 के उपबंधों का उल्लघंन किया है, तो चूक करने वाली कम्पनियों के विरूद्ध इन उपबंधों के अन्तर्गत अभियोजन शुरू किया जाता है ।

पिछले 3 वर्षो के दौरान सरकार ने इस धाराओं के अन्तर्गत नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अभियोजन शुरू किए हैं:-

वर्ष	धारा 63 का उल्लघंन	धारा 68 का उल्लंघन
1992-93	4	7
1993-94	2	3
1994-95	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

इन धाराओं के उपबंधों के अन्तर्गत शुरू किए गए अभियोजनों की शक्तियां भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 के अर्न्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 15.2.94 की अधिसूचना सं0 – सा0 का0नि0 97 (अ) के द्वारा भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड को प्रदत्त कर दी गई हैं।

भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड ने प्रोस्पेक्टस/ऑफर दस्तावेज में प्रकटीकरण की आवश्यकता का पुनरीक्षण करने के साथ-साथ ऐसे दस्तावेजों में बढ़ा चढ़ाकर दिए गए विवरण के रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को भी नियुक्त किया है। समिति द्वारा सुझायें गये उपाय ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में सहायक होंगे।

सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को शेयर बाजार में कम्पनियों द्वारा ऑफर किये गये विशेष शेयरों में निवेश करने के बारे में निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं।

Enactment of uniform civil code by Maharashtra

*77. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government are aware of the Maharashtra Government's decision to unilaterally follow the directive of the Supreme Court and enact the uniform civil code; and

(b) if so, what are the reasons for Centre's dilly-dallying in starting the porcess for enacting the long-awaited legislation on the uniform civil code for all acitizens of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARWAJ): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Facts About Charar

*78. SHRI JAGMOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether Government have seen the report published on the front page of the weekly, 'Current' in its issue of July 8, 1995, under the caption "The Truth About Charar";

(b) whether the assertions made therein, particularly in regard to the casualties suffered by the Indian Army and holding of the Press Conference by Mast Gul on May 25, 1995, are correct;

(c) if not, what are the true facts; and

(d) whether any inquiry into the matter has been held?

THE MINSTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The assertions made in the news item in regard to the casualties suffered by the Indian Army is exaggerated. According to information available, during the entire operation from 11th may to 16th May 1995, Army suffered the following casualties:-

(i) Killed 2 (Other Ranks)

(ii) Wounded 8 (Other Ranks)

It is true that Mast Gul had held a Press Conference on 25th May 1995.

(d) No inquiry as such has been held in the matter.

Solar Energy Generation

*79. SHRI PRAGADA KOTAIAH:
DR. SHRIKANT RAMACHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) the total amount of energy